न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 02/2014 दायरा दिनांक : 10.09.2013

उनवान

1– स्वर्गीय दुलीचन्द आत्मज श्री कजोड़ीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान :–

1/1– अशोक चन्द पिसरान दुलीचन्द, जाति ब्राहमण, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

1/2– त्रिलोक चन्द पिसरान दुलीचन्द, जाति ब्राहमण, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

1/3– गिरीश चन्द पिसरान दुलीचन्द, जाति ब्राहमण, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

1/4– ओम प्रकाश पिसरान दुलीचन्द, जाति ब्राहमण, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

1/5– प्रदीप कुमार पिसरान दुलीचन्द, जाति ब्राहमण, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

1/6– विपिन कुमार पिसरान दुलीचन्द, जाति ब्राहमण, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

1/7– श्रीमती आशा पिसरान दुलीचन्द, जाति ब्राहमण, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

1/8– श्रीमती निर्मला पिसरान दुलीचन्द, जाति ब्राहमण, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– त्रिलोक चन्द पुत्र दुलीचन्द जाति ब्राहमण निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— केदारलाल आत्मज जयलाल, जाति ब्राहमण, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ मृतक जरिये कायम मुकामान :—

1/1— श्रीमती विष्णुकान्ता पत्नी श्री केदारलाल, उम्र 70 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी तहसील मेन रोड़, अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ पिनकोड 326033

1/2— श्रीमती प्रेम शर्मा पत्नी श्री घनश्या मजी शर्मा पुत्री श्री केदार लाल,उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम झालीपुरा, जिला कोटा पिनकाड 325201

1/3— श्रीमती मन्जू शर्मा पत्नी डा0 शिवशंकर शर्मा पुत्री केदारलाल, उम्र 45 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी साई टाऊनशिप बाईपास रोड़ गुना (मध्यप्रदेश) पिनकोड 473001

1/4— श्रीमती चेतना शर्मा उर्फ विमला शर्मा पत्नी श्री अजय शर्मा पुत्री श्री केदार लाल, उम्र 40 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी पंचमुखी बालाजी के सामने झालावाड़, जिला झालावाड़ पिनकोड 326001

1/5— नीरू पुत्री श्री केदार लाल उम्र 35 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी तहसील मेन रोड़, अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ पिनकोड 326033

1/6— श्री तेजप्रकाश पुत्र श्री केदार लाल, जाति ब्राहमण, निवासी तहसील मेन रोड़, अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ पिनकोड 326033

2— रामभरोसी पुत्री जयलाल पत्नी पुरूषोत्तम, जाति ब्राहमण, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3— संतोष बाई पत्नी कैलाश मीना, जाति मीना, निवासी भोपाल बाईपास एवं भोपाल नाका अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बच्चू लाल एवं श्री ए के जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री इन्द्र लाल गुप्ता एवं श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 07.01.2020**

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 39 नियम 2 ए जाप्ता दीवानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 22 नियम 4 जाप्ता दीवानी पेश की गई है ।

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी केदार लाल ने श्री दुलीचन्द त्रिवेदीपुत्र श्री कजोडी लाल, जाति ब्राहमण, निवासी अकलेरा के विरूद्ध संयुक्त खातेदारी की आराजी के बंटवारे का वाद पेश किया था । श्री दुलीचन्द का स्वर्गवास सन् 2008 में हो गया तथा वाद में श्री दुली चन्द के विधिक प्रतिनिधियों को रेकार्ड पर लेकर पक्षकार बनाया गया इसके पहले ही प्रार्थ त्रिलोक चन्द ने वाद में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर पक्षकार बनाया । चूंकि दुलीचन्द ने वाद में अपने जवाब दावे में यह अंकित किया कि केदारलाल के पिता जयलाल ने आराजी में उसके 1/2 हिस्से को दिनांक 7.6.64 को प्रतिफल प्राप्त करके त्रिलोकचन्द को बेचान कर आराजी पर मौके पर कब्जा दे दिया था और इस प्रकार श्री जयलाल के आराजी में हिस्से का श्री त्रिलोकचन्द खातेदार हो गया व उसका आराजी पर कब्जा हो गया । प्रार्थी त्रिलोकचन्द ने वाद में पक्षकार बनने के बाद श्री केदार लाल के वाद का जवाबदावा पेश किया तथा जवाब दावे के साथ अपना प्रतिवाद पेश किया जिसमें अप्रार्थी केदारलाल के आराजी में हिस्से का खातेदार टीनेन्ट घोषित करने व आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार टीनेन्ट रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज करने का अनुतोष चाहा । त्रिलोकचन्द ने जवाबदावा व प्रतिवाद पेश करने के साथ अस्थायी

निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय से यह अनुतोष चाहा गया था कि केदार लाल व श्रीमती रामभरोसी बेचान की गई आराजी में बेचा मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । यह वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायेलय में लम्बित रहते श्री केदार लाल व रामभरोसी ने आराजी में उनके 1/2 हिस्से का दिनांक 26.12.2012 को अप्रार्थी श्रीमती संतोष बाई को बेचान कर दिया तथा संतोष बाई द्वारा विवादग्रस्त आराजी को खरीदने के बाद प्रार्थीगण ने वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया जो अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा पेश किये गये अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को सुनने के बाद दिनांक 22.04.2013 को खारिज कर दिया जिसकी अपील प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में पेश की गई । माननीय न्यायसालय ने केदार लाल, रामभरोसी व संतोष बाई व प्रार्थीगण की बहस सुनने के पश्चात दिनांक 16.08.2013 को प्रार्थीगण की अपील स्वीकार की तथा अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.04.2013 अपास्त किया जाता है एवं अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी ए दिनांक 01.04.2012 स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र में उल्लेखित आराजी कुल किता 11 रकबा 90 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम कोटड़ा दयाल तहसील अकलेरा का रहन बेचान हस्तान्तरण नहीं करें और प्रतिवादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नहीं करें । माननीय न्यायालय ने अपना निर्णय दिनांक 16.08.2013 अप्रार्थी केदार लाल, रामभरोसी बाई व संतोष बाई के अभिभाषक की उपस्थिति में सुनाया गया जिसका ज्ञान अप्रार्थीगण के अभिभाषक व अप्रार्थीगण को अच्छी प्रकार से है। इसके बाद भी दिनांक 04.09.2013 को प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की विवादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण जबरन गड्डे खोदने लगे तथा

नारंगी के पौधे लगा दिये जिससे प्रार्थी की फसल को नुकसान पहुंचा । अप्रार्थीगण बहुत ही ताकतवर व्यक्ति है। अप्रार्थीगण ने जानबूझकर माननीय न्यायेालय के आदेश की अवमानना की है । अतः उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करना न्याय के हित में आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया जावे तथा उनके द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय/आदेश दिनांक 16.08.2013 की अवमानना करने के लिए उनकी अचल सम्पत्ति को कुर्क किया जावे तथा उनको तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जावे तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के खाते कब्जे व काश्त की भूमि पर खड्डे खोदकर नारंगी के पौधे लगा दिये हैं उनको अविलम्ब हटाने व गड्डे मिट्टी से भ्रने के आदेश दिया जावे और यदि अप्रार्थीगण नारंगी के पौधे हटाकर गड्डे नहीं भरते हैं तो प्रार्थीगण को यह कार्य करने के लिए अधिकृत किया जावे ।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अभिभाषक अपीलांट की ओर से आर आर टी 2013(1) पेज 206, की नजीरें पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई एवं अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से आर आर टी 2016—17 (सप्लीमेंट्री) पेज 515, आर आर टी 2011—12 (सप्लीमेंट्री) पेज 519 की नजीरें पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई । अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेंट की मौखिक बहस सुनी गई ।

प्रार्थना पत्र में महत्वपूर्ण बिन्दु है कि आर ए ए न्यायालय के निर्णय पर राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा स्थगन दे दिया गया था वर्तमान में मूल वाद का निस्तारण हो चुका है, जो खारिज हो गया है । अतः न्यायालय की अवमानना का प्रकरण सिद्ध नहीं होता है । आर आर टी 2011—12 (सप्लीमेंट्री) पेज 519 — No litigant can derive any benefit from mere pendency of case in a court of Law,

as the interim order always merges in the final order to be passed in the case and if the case is ultimately dismissed, the interim order stands nullified automatically.

अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा